रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1978/भाद्र 4, 1900

No. 250] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 26, 1978/BHADRA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1978

सा० का० नि० 428(अ)—केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, तेल उद्योग विकास बोर्ड,

(ग) "सदस्य" से बोर्ड 27 सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) "सचिव" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सचिव या उसकी अनुपस्थिति में मुख्य लेखा अधिकारी।

(ङ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है, बोर्ड का नियमित कर्मचारी, परन्तु वेतन और भत्तों के विनियमन के प्रयोजनार्थ शब्द "कर्मचारी" में, किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य उपक्रम के ऐसे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

3. बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें :—(1) अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड की सेवा में के पदों पर सभी नियुक्तियां बोर्ड द्वारा की जाएंगी।

(2) बोर्ड की सेवा में के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लागू वेतनमान और भत्ते वही होंगे जो केन्द्रीय सरकार की सेवा में समरूप प्रास्थिति के अधिकारियों को लागू हैं या वे अन्य भत्ते होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं।

(3) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासित करने वाली कतिपय सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा विरचित नियमों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के मूल नियम और अनुपूरक नियम, बोर्ड की सेवा में के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लागू होंगे।

परन्तु मूल नियमों और अनुपूरक नियमों के अधीन राष्ट्रपति में विनिहित शक्तियों का प्रयोग—अध्यक्ष द्वारा और विभागाध्यक्षों में निहित शक्तियों का प्रयोग सचिव द्वारा किया जाएगा।

(4) मकान बनाने के लिए (जिसमें इस प्रयोजनार्थ भूमि का क्रय सम्मिलित है), या बना-बनाया घर क्रय करने के लिए, या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी या अन्य कर्मचारी से भिन्न बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के स्वामित्वाधीन किसी विद्यमान घर में निवासीय सुविधा का विस्तार करने के लिए, उस अधिकारी या कर्मचारी को, केन्द्रीय सरकार के गृह-निर्माण-अग्रिम के अनुदान को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय सरकारी सेवकों के नियमों में यथाविहित दरों और शर्तों पर अग्रिम मंजूर किया जा सकता है। उक्त [illegible]

में निधि की व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष को, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन केन्द्रीय सरकारी सेवकों को अनुज्ञेय अग्रिमों की रकम की अधिकतम सीमा तक अग्रिम अनुदत्त करने की शक्ति होगी। अध्यक्ष, सचिव को या बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी को, अपनी वे शक्तियां, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।

(5) बोर्ड, यथास्थिति, अपने कर्मचारियों या उनके कुटुम्बों को, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों के अधीन ऐसे अन्य अग्रिम या कोई राहत अनुदत्त कर सकता है। जो तुलनीय पदों पर के केन्द्रीय सरकारी सेवकों या उनके कुटुम्बों को अनुज्ञेय हैं।

4. सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं :—(1) बोर्ड के अधीन सेवा, तेल उद्योग विकास निधि से किसी पेंशन या उपदान के लिए अर्हित नहीं करेगी; किन्तु बोर्ड अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए एक अंशदायी भविष्यनिधि स्थापित करेगा और बनाए रखेगा और उनसे अपेक्षा करेगा कि वे उक्त निधि में अंशदान करें। बोर्ड का कोई कर्मचारी, जो सरकारी सेवक भी है, पेंशन और अन्य विषयों के सम्बन्ध में सेवा की उन्हीं शर्तों द्वारा शासित होगा जो उसे सरकारी सेवक के रूप में लागू हैं।

(2) अंशदायी भविष्य निधि, सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, उन नियमों के अनुसार जो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बनाए, प्रशासित की जाएगी।

5. निर्वचन : यदि इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई प्रश्न उठे तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा० सं० 7(9)/76-पी० एण्ड कें०]

एस० एल० खोसला, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1978

G.S.R. 428(E).—In exercise of powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1 Short title and Commencement :—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2 Definitions :—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Act' means the Oil Industry Development Act, 1974;

(b) "Board" means Oil Industry Development Board ;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Board ;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Board or in his absence Chief Accounts Officer.

(e) "employee" means a regular employee of the Board, provided that for the purpose of regulation of pay and allowances the term 'employee' will also include the employees in the service of any State or Central Government or in any other undertaking who are on deputation with the Board.

3. Pay, allowances and other conditions of service of officers and employees of the Board : (1) Subject to the provisions of section 5 of the Act, all appointments to posts in the service of the Board shall be made by the Board.

(2) The scales of pay and allowances applicable to the Officers and other employees in the service of the Board shall be the same as those applicable to officers of similar status in the service of the Central Government or such other allowances as may be prescribed by the Board with the approval of the Central Government.

(3) Subject to the rules framed by the Board in regard to certain service conditions governing the officers and employees of the Board, the Fundamental Rules and the Supplementary Rules of the Government of India shall apply to officers and other employees in the service of the Board.

Provided that the Powers vested under the Fundamental Rules and the Supplementary Rules in the President shall be exercised by the Chairman and those vested in the Heads of Department by the Secretary.

(4) An advance for building a new house (including purchase of land for the purpose) or for purchase of a ready-built house or for enlarging living accommodation of an existing house owned by an officer or other employees of the Board other than those appointed by the Central Government may be granted to such officer or employees at such rates and on such conditions as may be prescribed in the rules of the Central Government for the time being in force regulating the grant of advance for building of houses of Central Government servants. Subject to provision of funds in the budget estimates the Chairman shall have the powers to grant advances upto the maximum limits of such amounts of advances as are admissible to Central Government servants under orders issued from time to time. The Chairman may also delegate to the Secretary or any other officer of the Board such of his powers as he deems fit.

(5) The Board may grant to its employees or their families as the case may be, such other advances or any relief as are admissible to Central Government employees of comparable posts or to their families under rules and orders issued by the Central Government from time to time.

4. Retirement benefits :—(1) Service under the Board shall not qualify for any pension or gratuity from the Oil Industry Development Fund; but the Board shall establish and maintain a contributory Provident Fund for the benefit of its employees and require them to subscribe to the said Fund. Any employee of the Board who is also a Government servant shall continue to be governed by conditions of service in regard to pension and other matters which apply to him as a Government servant.

(2) The Contributory Provident Fund shall be administered by the Secretary or other officer authorised by the Chairman in this behalf in accordance with such rules as the Board may make with the approval of the Central Government.

5. Interpretation :—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

[File No. 7(9)/76-P&Ch]

S. L. KHOSLA, Jt. Secy. and Financial Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978